न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 05/2022
जीसीएमएस नं. 2022/7

दायर दिनांक 03.02.2022
निर्णय दिनांक 29.09.2025

1. दयालाल पिता धुलजी जोशी, निवासी वांदरवेड तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर

– अपीलाण्ट

बनाम

1. प्रभाशंकर पिता धुलजी जोशी निवासी वांदरवेड तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर।
2. भूमिधारी, तहसीलदार सागवाडा, जिला डूंगरपुर।

– रेस्पोडेण्ट्स

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970

उपस्थित – **1.श्री प्रेमपुरी गोस्वामी – अधिवक्ता अपीलाण्ट**
2. श्री नागेन्द्र सिंह चुण्डावत – अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से

–:निर्णय:– **दिनांक – 29.09.2025**

1 अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 दोनो आपस में सगे भाई होकर ग्राम वान्दरवेड तहसील सागवाडा के निवासी है। प्रार्थी के पिता के नाम राजस्व ग्राम वान्दरवेड की आराजी संख्या 1513 रकबा 11 बिस्वा भूमि वर्ष 1985 में निजीवन विकास हेतु आवंटित की गई थी। उक्त भूमि में आवंटन शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण कर पालना नहीं होने से तहसीलदार सागवाडा की रिपोर्ट अनुसार न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर में प्रकरण संख्या 18/08 दायर होकर आवंटित भूमि को निरस्त करते हुए पुनः बिलानाम दर्ज की गई।

वादग्रस्त आराजी सं. 1513 की भूमि बिलानाम पर प्रार्थी के पिता श्री धुलजी पिता कुबेर का कब्जा काश्त रहा तथा उनके स्वर्गवास के उपरांत उनके चारों पुत्र का कब्जा काश्त अविरल रूपेण चला आ रहा है तथा उसकी पेनल्टी वगैरा जमा कराई जाती रही है।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

ग्राम वान्दरवेड की उपरवर्णित आराजी सं. 1513 रकबा 11 बिस्वा की भूमि पर प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 सहित चारों भाईयों का कब्जा पिताजी के समय से लगातार होने के उपरान्त भी विपक्षी संख्या 1 द्वारा चोरी–छिपे एवं संबंधित पटवारी से सांठ–गांठ तथा मिलीभगत करते हुए दिनांक 08.12.2010 को भूमि को अपने अकेले के नाम पर गलत तथ्य प्रस्तुत करते हुए आवंटित करवा ली गई है। यह भूमि अनाधिकृत (Un-occupied) भूमि नही होने से विपक्षी सं. 1 के अकेले के नाम पर आवंटन योग्य नही थी। तत्कालीन पटवारी हल्का आवेदन पत्र भरा जाकर आवेदन पत्र में विपक्षी सं. 1 के फर्जी एवं कूटरचित हस्ताक्षर करते हुए आवंटन प्रपत्र की पूर्ण पूर्ति नही कर तथा आवंटन कमेटी को धोखे में रखते हुए मौके के वास्तविक तथ्यों को नजरअंदाज किया जाकर जरिये Mis-representaion & Fraud के भूमि आवंटित करवा ली है। आवंटी द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियमों के वर्णित शर्तो की पालना नही की गई है। आवंटन जो मिथ्या तथ्यों पर आधारित हो एवं कपटपूर्वक आंवटन करवाया गया हो, वह विधिक रूप से निरस्त योग्य है। आवंटित आराजी संख्या 1513 की भूमि पर प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर परकोटा बना आज तक प्रार्थी ही काबिज है। प्रार्थी ने पटवारी हल्का से संपर्क कर जानकारी लेकर आवंटन प्रपत्र मिसल की नकल निकलवाई जो दिनांक 14.01.2022 को प्राप्त हुई एवं नामान्तरण तथा जमाबंदी की नकल दिनांक 13.01.2022 को प्राप्त हुई एवं नामान्तरण तथा जमाबंदी की नकल दिनांक 13.01.2022 को प्राप्त हुई जिससे प्रार्थी को वस्तुस्थिति की जानकारी हुई। विपक्षी सं. 1 द्वारा ग्राम वान्दरवेड की अन्य आराजीयात भूमि के साथ ही प्रार्थी के कब्जके काश्त व परकोटा बनी भूमि आराजी संख्या 1513 का भी अकेले ने चोरी–छिपे एवं मिलिभगत कर गलत तथ्य पेश करते हुए आवंटन कमेटी को धोखे में रखकर आवंटन करवा लिया है ।

अतः प्रार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम वान्दरवेड तहसील सागवाडा की आरजी सं. 1513 रकबा 11 बिस्वा (0.0889 हैक्टे.) का विपक्षी सं. 1 के नाम किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

2. उपरोक्त अपील प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी जरिये सम्मन जारी कर की गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री नागेन्द्र सिंह चुण्डावत द्वारा वकालत नामा व जवाब दावा पेश किया ।

3. रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 1513 की बिलानाम भूमि पर प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के पिता के देहान्त के बाद प्रार्थी एवं अन्य भाई श्री भरत एवं श्री विमलेश का कब्जा–काश्त कभी नही रहा हैं। कब्जा–काश्त विपक्षी संख्या 1 अकेले का आज दिन तक चला आ रहा है। प्रार्थी के द्वारा आराजी नम्बर 1513 की पेनल्टी कभी जमा नही कराई गई हैं। पेनल्टी विपक्षी संख्या 1 के द्वारा जमा कराई गई है।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

वादग्रस्त आराजी नम्बर 1513 प्रार्थी के खेत आराजी नम्बर 1514 के पास समीप नहीं होकर विपक्षी संख्या 1 के खाते की आराजी नम्बर 1512 से सटी हुई हैं । आराजी नंबर 1513 से प्रार्थी का कोई सरोकार सम्बन्ध नही हैं। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा –काश्त विपक्षी संख्या 1 का है। आराजी नम्बर 1513 का आवंटन नियमानुसार भूमि आवंटन योग्य होने से दिनांक 08.12.2010 को भूमि का आवंटन अपने नाम से करवाया गया है। प्रार्थी द्वारा आवंटन के अब 12 वर्ष बाद विपक्षी संख्या 1 पर झूठे आरोप लगाकर आवंटन निरस्त कराना चाहता है । विपक्षी संख्या 1 के नाम आवंटित भूमि की उद्घोषणा की गई है, व ग्राम स्थल व ग्राम पंचायत में चस्पा भी की गई है। प्रार्थी झूठे कारण बताकर विपक्षी संख्या 1 को आवंटित भूमि अब खातेदारी अधिकार मिल जाने के बाद खारिज कराना चाहता है।
अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

4. हमने अपील प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सूनी।

5. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 दोनो आपस में सगे भाई है। प्रार्थी के पिता के नाम राजस्व ग्राम वान्दरवेड की आराजी संख्या 1513 रकबा 11 बिस्वा भूमि वर्ष 1985 में निजीवन विकास हेतु आवंटित की गई थी। उक्त भूमि में आवंटन शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण कर पालना नहीं होने से तहसीलदार सागवाडा की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 18/08 आवंटित भूमि को निरस्त करते हुए पुनः बिलानाम में किया गया।
वादग्रस्त आराजी सं. 1513 की भूमि बिलानाम पर प्रार्थी के पिता श्री धुलजी पिता कुबेर का कब्जा काश्त रहा तथा उनके स्वर्गवास के उपरांत उनके चारों पुत्र का कब्जा काश्त अविरल रूपेण चला आ रहा है तथा उसका लगान पेनल्टी वगैरा जमा कराई जाती रही है।
विपक्षी संख्या 1 द्वारा चोरी–छिपे एवं संबंधित पटवारी से सांठ–गांठ तथा मिलीभगत करते हुए दिनांक 08.12.2010 को आराजी की भूमि को अपने अकेले के नाम पर गलत तथ्य प्रस्तुत करते हुए आवंटित करवा ली गई है। यह भूमि अनाधिकृत (Un-occupied) भूमि नही होने से विपक्षी सं. 1 के अकेले के नाम पर आवंटन योग्य नही थी। तत्कालीन पटवारी हल्का आवेदन पत्र भरा जाकर आवेदन पत्र में विपक्षी सं. 1 के फर्जी एवं कूटरचित हस्ताक्षर करते हुए आवंटन प्रपत्र की पूर्ण पूर्ति नही कर तथा आवंटन कमेटी को धोखे में रखते हुए मौके के वास्तविक तथ्यों को नजरअंदाज किया जाकर जरिये Mis-representaion & Fraud के भूमि आवंटित करवा ली है। आवंटी द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियमों के वर्णित शर्तो की पालना नही की गई है। आवंटन जो मिथ्या तथ्यों पर आधारित हो एवं कपटपूर्वक आंवटन करवाया गया हो, वह विधिक रूपेण निरस्त योग्य है।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

आवंटित आराजी संख्या 1513 की भूमि पर प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर परकोटा बना आज तक प्रार्थी ही काबिज है।
अतः प्रार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम वान्दरवेड तहसील सागवाडा की आरजी सं. 1513 रकबा 11 बिस्वा (0.0889 हैक्टे.) का विपक्षी सं. 1 के नाम किया गया आवंटन निरस्त फरमावे।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट स. 01 की ओर अपनी बहस में जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्तम आराजी नम्बर 1513 की बिलानाम भूमि पर प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के पिता के देहान्त के बाद प्रार्थी एवं अन्य भाई श्री भरत एवं श्री विमलेश का कब्जा—काश्त कभी नही रहा हैं।वादग्रस्त आराजी पर कब्जा—काश्त विपक्षी संख्या 1 अकेले का आज दिन तक चला आ रहा है। प्रार्थी के द्वारा आराजी नम्बर 1513 की पेनल्टी कभी जमा नही कराई गई हैं। पेनल्टी विपक्षी संख्या 1 के द्वारा जमा कराई गई है। वादग्रस्त आराजी नम्बर 1513 प्रार्थी के खेत आराजी नम्बर 1514 के पास समीप नहीं होकर विपक्षी संख्या 1 के खाते की आराजी नम्बर 1512 से सटी हुई हैं। आराजी नंबर 1513 से प्रार्थी का कोई सरोकार सम्बन्ध नही हैं। आराजी नम्बर 1513 का आवंटन समस्त कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुये भूमि आवंटन योग्य होने से दिनांक 08.12.2010 को भूमि का आवंटन करवाया गया है। प्रार्थी द्वारा आवंटन के अब 12 वर्ष बाद विपक्षी संख्या 1 पर झूठे आरोप लगाकर आवंटन निरस्त कराना चाहता है । विपक्षी संख्या 1 के नाम आवंटित भूमि की उद्घोषणा की गई है, व ग्राम स्थल व ग्राम पंचायत में चस्पा भी की गई है। प्रार्थी झूठे कारण बताकर विपक्षी संख्या 1 को आवंटित भूमि अब खातेदारी अधिकार मिल जाने के बाद खारिज कराना चाहता है।
अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

7. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकोर्ड / दस्तावेज का ध्यायनपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी के पिता के नाम राजस्व ग्राम वान्दरवेड की आराजी संख्या 1513 रकबा 11 बिस्वा भूमि वर्ष 1985 में निजीवन विकास हेतु आवंटित की गई थी। उक्त भूमि में आवंटन शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण कर पालना नहीं होने से तहसीलदार सागवाडा की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर में प्रकरण संख्या 18 / 08 दायर होकर आवंटित भूमि को निरस्त करते हुए पुनः बिलानाम दर्ज की गई।
बिलानाम दर्ज होने के बाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2010 में रेस्पोडेण्ट प्रभाशंकर को वादग्रस्त आराजी खसरा न. 1513 रकबा 11 बिस्वा आवंटित हुई। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2074—77 मौजा वान्दरवेड के खसरा स. 1513 रकबा 0.0889 है. प्रभाशंकर पिता धुलजी जोशी खातेदार के रूप में दर्ज रिकोर्ड है। इस प्रकार आवंटी को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

अपीलाण्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी पर स्वंय का **कब्जा काश्त** होना ,रेस्पोडेण्ट द्वारा **चोरी–छिपे एवं पटवारी से मिलीभगत कर गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर आवंटन** कराने का अंकन किया है। अपीलार्थी द्वारा इस आवंटन को आवंटी **द्वारा fraud / Misreprasent** द्वारा कराना बताया है तथा **आवंटन शर्तो की पालना नहीं** किया जाना तथा **कब्जा काश्त नहीं होना** भी अपनी अपील प्रार्थना पत्र में अंकित किया है।

अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी पर स्वंय के कब्जा काश्त के सम्बन्धित कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है ।

इसी प्रकार अपीलाण्ट द्वारा आवंटन को fraud / Misreprasent होना बताया है जबकि नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत ऐसा आवंटन जो कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा कराया हो या नियम विरूद्व किया गया हो या आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की हो तो इस प्रकार के आवंटन को नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत खारिज किया जा सकता है। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर आवंटन fraud / Misreprasent होना साबित होता हो।

पत्रावली में उपलब्ध खसरा गिरदावरी (खरीफ–सियालू), वर्ष 2023 (सम्वत 2080) एवं खसरा गिरदावरी (खरीफ–सियालू), वर्ष 2024 (सम्वत 2081) के अनुसार आवंटी द्वारा सोयाबीन फसल काश्त की है। इससे साबित होता है कि आवंटित / वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेण्ट प्रभाशंकर का कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट की ओर से बिना किसी आधार के यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 बिना किसी आधार पर पेश करने से अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मौजा राजस्व ग्राम वान्दरवेड के खसरा नम्बर 1513 कुल रकबा 11 बिस्वा भूमि का आवंटन रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को आवंटन की गयी भूमि के आवंटन आदेश को यथावत बहाल रखने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 29.09.25 को लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।
पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूँगरपुर